

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प. 22(1)न्याय/24

जयपुर, दिनांक

::आज्ञा::

राजस्थान विधि सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों के पदोन्नति उपरान्त स्थानान्तरण/पदस्थापन प्रशासनिक आधार पर एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से किये जाते हैं:-

1.	कंवरी लाल सोनी	उप विधि परामर्शी नगर निगम जोधपुर उत्तर, जोधपुर	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय बालोतरा	रिक्त पद पर
2.	ओम प्रकाश शर्मा	उप विधि परामर्शी निदेशालय कृषि विभाग, जयपुर	उप विधि परामर्शी जिला कलक्टर, कार्यालय डीग	रिक्त पद पर
3.	नवनीत तिवारी	कनिष्ठ विधि अधिकारी राजस्व मंडल, अजमेर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय ब्यावर	रिक्त पद पर
4.	जितेन्द्र कुमार बेरड़	कनिष्ठ विधि अधिकारी मुख्य अभियंता परियोजना, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय फलौदी	रिक्त पद पर
5.	निमिता शर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी एस.एम.एस. मेडिकल कोलेज, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय कोटपूतली बहरोड	रिक्त पद पर
6.	ललित बंधु शर्मा	कनिष्ठ विधि अधिकारी आयुक्त, देवस्थान विभाग, उदयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय सलूमबर	रिक्त पद पर
7.	रामनिवास मीना	कनिष्ठ विधि अधिकारी विधिक मापविज्ञान प्रकोष्ठ, निदेशालय उपभोक्ता मामले विभाग, जयपुर	कनिष्ठ विधि अधिकारी जिला कलक्टर, कार्यालय डीडवाना-कुचामन	रिक्त पद पर
8.	महेश कुमार मीना कनिष्ठ विधि अधिकारी	वरिष्ठ विधि अधिकारी जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा), भरतपुर संभाग, भरतपुर	वरिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पद के विरुद्ध

नोट:- उपरोक्त सभी संबंधित अधिकारीगण इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(4)न्याय/2002 दिनांक 03.07.2002 के अनुसार 7 दिवस में हर सूरत में कार्यमुक्त होकर अथवा विभाग द्वारा कार्यमुक्त नहीं करने की स्थिति में बिना कार्यमुक्त हुए नवपदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करें अन्यथा इसे गम्भीरता से लिया जाकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध नियमानुसार अविलम्ब गम्भीर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी जिसके लिए स्वयं अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

उक्त अधिकारीगण कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट भी इस विभाग को अविलम्ब भिजवायें।

आज्ञा से

(अंकित रमन)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय विधि मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
4. संबंधित विभाग को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक को तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।
5. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Document certified by ANKIT RAMAN
<ankitraman.ar@gmail.com>.

Digitally Signed by ANKIT
RAMAN
Designation: Joint Secretary
Date :17-09-2025 05:09:28